

न्यायालय— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)**समक्ष—योगेश कुमार गुप्ता**

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक—167 / 2016

संस्थित दिनांक—19.07..2016

फाईलिंग नंबर— सीआरआर / 102327 / 2016

धमेन्द्रसिंह कुशवाह पुत्र सुमेरसिंह, आयु—30 साल,
निवासी ग्राम उदी, जिला इटावा (उ0प्र0)

-----पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नयागांव, जिला— भिण्ड,
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड
3. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा खनिज शाखा, कलेक्ट्रेट भवन,
जिला भिण्ड (म0प्र0)

----- प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री रज्जनसिंह भदौरिया अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से श्री रविन्द्र नगाइच एजीपी।

आ दे श

(आज दिनांक 8.8.2016 को पारित)

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण दप्रस की धारा 397 सहपठित 399 के अंतर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भिण्ड (श्री मो0अरशद) के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 13एफ/16 में पारित आदेश दिनांक 4.7.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दप्रस की धारा 451 सहपठित 457 के अंतर्गत वाहन क्रमांक यू.पी.75एम-7028 जिसे आगे प्रश्नगत वाहन कहा जायेगा, को अंतरिम अभिरक्षा में लिये जाने का आवेदन निरस्त किया गया है।
2. पुनरीक्षण निराकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी भिण्ड न्यायालय के समक्ष जिनके पास आरक्षी केन्द्र नयागांव, जिला भिण्ड के प्रकरणों की सुनवाई की स्थानीय अधिकारिता है, प्रश्नगत वाहन अंतरिम अभिरक्षा में लिये जाने के लिये आवेदन इस आधार पर पेश किया था कि पुनरीक्षणकर्ता प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। प्रश्नगत वाहन कलेक्टर भिण्ड एवं पुलिस थाना नयागांव की संयुक्त

कार्यवाही के दौरान जप्त कर नयागांव थाना परिसर में दिनांक 23.6.16 से रखा गया है। वाहन की किसी अपराध में संलिप्तता नहीं है। वाहन में भरे हुये माल के संबंध में रायल्टी अदा की गई है तथा वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, रायल्टी, अभिवहन पास तथा ड्रायविंग लाइसेंस के वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं। अतः प्रश्नगत वाहन अंतरिम अभिरक्षा में दिया जाये।

3. आरक्षी केन्द्र नयागांव द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रतिवेदन दिया गया है कि प्रश्नगत वाहन आरक्षी केन्द्र नयागांव के किसी भी दाण्डिक प्रकरण में जप्त नहीं किया गया है।

4. विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि प्रश्नगत वाहन किसी अपराध में जप्त नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 18 के उपनियम 4 के परंतुम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये मजिस्ट्रेट न्यायालय को वाहन अंतरिम अभिरक्षा में छोड़े जाने की कोई अधिकारिता नहीं है और आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। जिसके विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

5. पुनरीक्षणकर्ता अधिवक्ता का तर्क है कि वाहन कलेक्टर भिण्ड एवं पुलिस थाना नयागांव द्वारा खनिज अधिनियम के अंतर्गत जप्त किया गया है और विचारण न्यायालय को प्रश्नगत वाहन अंतरिम अभिरक्षा में दिये जाने की अधिकारिता प्राप्त है। उनके द्वारा वाहन में भरे हुये माल की रायल्टी का भुगतान किया गया है। वाहन नयागांव थाने में खड़ा हुआ है तथा वाहन का मूल्य कम हो रहा है। विचारण न्यायालय को प्रश्नगत वाहन को अंतरिम अभिरक्षा में दिये जाने का पूर्ण अधिकार था, इसलिये पुनरीक्षण स्वीकार की जाये और प्रश्नगत वाहन पुनरीक्षणकर्ता को अंतरिम अभिरक्षा में दिया जाये।

6. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण की ओर से खनिज अधिकारी जिला भिण्ड का अभिलेख प्रस्तुत कर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि खनिज अधिकारी द्वारा प्रश्नगत वाहन में सफेद गिट्टी भरी होना पाई गई थी और निरीक्षण के समय खनिज परिवहन का अभिवाहन पास होना नहीं पाया गया था। इस प्रकार खनिज पदार्थ सफेद गिट्टी के अवैध परिवहन के कारण मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 के अंतर्गत वाहन को मय खनिज जप्त कर थाना नयागांव के प्रांगण में रखा गया है और पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध 1,20,000/-रुपये खनिज के अवैध परिवहन के लिये अर्थदण्ड अथवा समझौता शुल्क प्रस्तावित किया गया है और वाहन

चालक सुनील कुमार द्वारा रायल्टी नहीं होने का तथ्य स्वीकार किया गया था। अतः पुनरीक्षण निरस्त की जाये तथा पुनरीक्षणकर्ता को खनिज अधिकारी के समक्ष वाहन अंतरिम अभिरक्षा में प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था।

7. पुनरीक्षण पर उभय पक्षों के तर्क सुने गये। अभिलेख पर विद्यमान सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. निराकरण हेतु विचारणीय यह है कि –

‘क्या पुनरीक्षण अधिकारिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय का आदेश

4.7.16 अपास्त किए जाने योग्य है ?’

9. खनिज विभाग के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन खनिज अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा खनिज सफेद गिट्टी 20 घन मीटर का शासकीय अभिवहन पास होने के बिना अवैध परिवहन किए जाने पर जप्त किया गया है और कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड म.प्र. के द्वारा सुनील कुमार जिससे प्रश्नगत वाहन जप्त किया गया है, को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की धारा 53(1) के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का सूचनापत्र दिया गया है

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के प्रावधानों के अंतर्गत जप्त किया गया है। **मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1), (2), (3) और (4) में यह प्रावधान है कि—**

(1) अनधिकृत उत्खनन तथा परिवहन के लिए शास्ति— जब भी कोई व्यक्ति, इन नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा, खनिजों का उत्खनन करता है या परिवहन करता पाया जाए या जिसकी ओर से ऐसा उत्खनन या परिवहन किया जाए, तो वह अवैध उत्खनन के लिये एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति तीन मास की न्यूनतम अवधि के साधारण कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो रुपये पचास हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जब कोई व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों का पालन करते हुए खनिजों का उत्खनन करते या परिवहन करते हुए पाया जाए तो कलेक्टर/अपर कलेक्टर/उपसंचालक/खनिज अधिकारी/सहायक खनिज अधिकारी/ खनिज निरीक्षक अथवा जिला/जनपद ग्राम सभा द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी गौण खनिज और उनके उत्पाद के साथ-साथ ऐसे अपराध में प्रयुक्त समस्त औजार, उपस्कर और वाहनों को अभिग्रहीत कर सकेगा।

(3) अवैध रूप से उत्खनित या परिवहन किये गये खनिज या उनके

उत्पाद, औजार, उपस्कर और वाहनों को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी, उस व्यक्ति को जिसके कब्जे से ऐसी वस्तुएं इस प्रकार अभिग्रहीत की गई हैं उसकी एक रसीद देगा तथा उस मजिस्ट्रेट को, जिसे ऐसे अपराध को विचारण करने की अधिकारिता है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन अभिग्रहीत ऐसी संपत्ति, उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके कब्जे से वह अभिग्रहीत की गई थी, उसे अभिग्रहीत करने वाले अधिकारी के समाधान पर्यन्त एक बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर उसे उसके द्वारा छोड़ दी जा सकेगी। जब ऐसे अधिकारी द्वारा उसे पेश करने की अपेक्षा की जाये तो वह अपेक्षित स्थान तथा समय पर पेश की जायेगी।

परंतु यह कि जहां उपनियम (3) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वहां अभिग्रहीत संपत्ति मजिस्ट्रेट के आदेश से ही छोड़ी जायेगी।

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1), (2), (3) और (4) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति को खनिजों के अवैध परिवहन में वाहन को अभिग्रहीत करने की अधिकारिता प्राप्त है तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(4) के अंतर्गत अभिग्रहीत वाहन को सक्षम प्राधिकारी को छोड़ने की अधिकारिता प्राप्त है। परंतु यदि उपनियम 3 के अधीन यदि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है वहां अभिग्रहीत संपत्ति मजिस्ट्रेट के आदेश से ही छोड़ी जाएगी।

12. प्रश्नगत मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड को उक्त नियम 53(3) के अंतर्गत खनिज अधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष खनिज अधिकारी द्वारा उपरोक्त मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(3) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई थी इसलिये विचारण न्यायालय को प्रश्नगत वाहन अंतरिम अभिरक्षा में छोड़े जाने की विधिक अधिकारिता नहीं थी। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश उचित है।

13. रूआब अहमद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. आई.एल.आर. (2015) एम.पी. 796 के मामले में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि— खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 18, दप्रस की धारा 457— वाहन का सुपुर्दगनामा— प्रश्नगत वाहन को जप्त किया गया क्योंकि उसमें अवैध रूप से कोयले का परिवहन किया जा रहा था—प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नियम 18 के उपबंधों के अनुसार मजिस्ट्रेट

को सूचित नहीं किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट को वाहन मुक्त करने की शक्ति नहीं थी जब तक कि प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट सूचना नहीं दी जाती।

14. रुआब अहमद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. पूर्वोक्त मामले में अभिनिर्धारित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में और पूर्वगामी कारणों से पुनरीक्षण सारहीन होने से इस निर्देश के साथ निरस्त की जाती है कि यदि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत वाहन को अंतरिम अभिरक्षा में छोड़े जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 और मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 18 के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत आदेश पारित करें।

15. आदेश की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय और खनिज विभाग का मूल अभिलेख वापस भेजा जावे।

स्थान—भिण्ड

सही /—

दिनांक— 8.8.2016

(योगेश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)